

दावा अन्तर्गत धारा 53,88 आर.टी.ए. बाबत खाता तकसीम एवं घोषणा  
डिक्री

दिनांक :- 12/05/2016

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि की घोषणा की जाकर निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-

3

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

1. वादी को प्राप्त भूमि:— तहसील पीलीबंगा चक 9 एलकेएस— बी के खाता सं. 64/55 के प.नं. 2/286 (26) किला नं. 12, 13, 18, 19, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2 की 1.771 हैक्. नहरी मय रास्ता खातेदारी भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकम राज अलग कायम की जावे। सुखराम का नाम कलमजन किया जाता है।

2. प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त भूमि:— तहसील पीलीबंगा के चक 9 एलकेएस—बी के खाता सं. 64/55 के प.नं. 4/287 (31) किला नं. 16 ता 19, 22 ता 25 की 2.024 हैक्. नहरी खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। सुखराम का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

2: खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12/5/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(उमा मित्तल आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा